



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 31]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 02 अगस्त 2013-श्रावण 11, शके 1935

भाग 3 (1)

विज्ञापन

न्यायालयों की सूचनाएं

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, इन्दौर खंडपीठ के समक्ष
(मूल कम्पनी क्षेत्राधिकार)

कम्पनी याचिका क्र. 25/2013

कम्पनी याचिका (आवेदन) क्र. 22/2013 के साथ कम्पनी अधिनियम, 1956 के मामले में

एवं

मेगनम इन्फ्रारियल प्रायवेट लिमिटेड के साथ फेबिओला सी फूड्स प्रायवेट लिमिटेड एवं फ्रेग्रेन्ट केमिकल्स प्रायवेट लिमिटेड की समामेलन योजना कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत धारा-391-394 के मामले में

एवं

के मामले में :

फेबिओला सी फूड्स प्रायवेट लिमिटेड

कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निगमित एक कम्पनी एवं जिसका पंजीकृत कार्यालय एम-9, रुकमणि प्लाजा, 14, पलासिया, ए.बी. रोड, इन्दौर-452 001 (म.प्र.).

याचिकाकर्ता क्र.1/

अंतरक क्र.1

फ्रेग्रेन्ट केमिकल्स प्रायवेट लिमिटेड

कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निगमित एक कम्पनी एवं जिसका पंजीकृत कार्यालय एम-9, रुकमणि प्लाजा, 14, पलासिया, ए.बी. रोड, इन्दौर-452 001 (म. प्र.).

याचिकाकर्ता क्र.2/

अंतरक क्र.2

मेगनम इन्फ्रारियल प्रायवेट लिमिटेड

कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निगमित एक कम्पनी एवं जिसका पंजीकृत कार्यालय 210, एम. टी. एच. कम्पाउण्ड, 24/2, एम. जी. रोड, इन्दौर-452 001 (म. प्र.).

याचिकाकर्ता क्र.3/

अंतरिती

याचिका की सूचना

उपरोक्त याचिकाकर्ताओं द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 391-394 के अंतर्गत दिनांक 17 मई, 2013 को, मेगनम इन्फ्रारियल प्रायवेट लिमिटेड (अंतरिती कम्पनी) के साथ फेबिओला सी फूड्स प्रायवेट लिमिटेड एवं फ्रेग्रेन्ट केमिकल्स प्रायवेट लिमिटेड (अंतरक कम्पनियां) की

समामेलन योजना की मंजूरी प्राप्त करने के लिये एक याचिका प्रस्तुत की गई है तथा उपरोक्त याचिका को दिनांक 21 अगस्त, 2013 को माननीय कम्पनी न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिये निर्धारित किया गया है।

यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त याचिका का समर्थन या आपत्ति प्रस्तुत करना चाहता हो, तो वह व्यक्ति याचिकाकर्ताओं के अभिभाषक को इस आशय की सूचना, अपना नाम व पता सहित या अपने अभिभाषक के माध्यम से सुनवाई दिनांक से 2 दिन पूर्व भिजवाये, यदि वह आपत्ति करता है तो आपत्ति करने का कारण शपथ-पत्र की प्रतिलिपि सहित सूचना-पत्र के साथ भिजवाये एवं यदि ऐसा व्यक्ति याचिका की प्रति प्राप्त करना चाहता हो तो याचिकाकर्ताओं के अभिभाषक से निर्धारित शुल्क देकर प्राप्त कर सकता है।

दिनांक 23 जुलाई, 2013

यतीश लाड़, (अभिभाषक)

तर्फे याचिकाकर्ता कम्पनियाँ,

304, जे. वी. कॉम्प्लेक्स,

2/13, रेस कोर्स रोड,

इन्दौर-450001 (म. प्र.).

(245-बी.)

अन्य सूचनाएं

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री नवीन शिवहरे पुत्र श्री चिरोंजीलाल शिवहरे, श्री प्रवीण शिवहरे पुत्र चिरोंजीलाल शिवहरे, निवासीगण तानसेन रोड ग्वालियर एवं कुमारी श्रेया रैली पुत्री श्री गौतम रैली, आयु 8 वर्ष, पालक श्री गौतम रैली, कुमारी श्रेया रैली, निवासी सदर बाजार मुरार ग्वालियर, द्वारा मेसर्स सी. पी. गुडस के नाम से साझेदारी पत्रक दिनांक 18 मई, 2011 के अनुसार साझेदार होकर व्यवसाय करते थे। अब नवीन संशोधित साझेदारी पत्रक दिनांकित 03 जुलाई, 2013 द्वारा नवीन शिवहरे, प्रवीण शिवहरे पुत्र चिरोंजीलाल शिवहरे दोनों निवासीगण एम-40, गांधी नगर, ग्वालियर एवं कुमारी श्रेया रैली पुत्री श्री गौतम रैली, आयु 8 वर्ष, निवासी सदर बाजार मुरार ग्वालियर, पालक श्री गौतम रैली कुमारी श्रेया रैली के अतिरिक्त इस साझेदारी फर्म में श्री ब्रजेश श्रीवास्तव पुत्र श्री बद्री प्रसाद श्रीवास्तव आयु 41 वर्ष, निवासी हरिशंकरपुरम् ग्वालियर फर्म में साझेदार होना तय किया गया है। तदनुसार साझेदारी फर्म मेसर्स सी. पी. गुडस में उपरोक्तानुसार चार पार्टनर्स हो गए हैं और यह साझेदारी दिनांक 03 जुलाई, 2013 से प्रभावी हो गई है।

सर्व-साधारण के सूचनार्थ यह सूचना-पत्र प्रकाशित की जा रही है।

प्रेषक

अनिल भल्ला, (सी. ए.)

ए 6-7, द्वितीय तल साईं अपार्टमेन्ट,

जयन्द्रेगंज, ग्वालियर (म. प्र.).

(232-बी.)

इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सूचना हेतु

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म में कॉमेट कन्सट्रक्सन इलाहाबाद रोड, बरा, रीवा (म.प्र.) से दिनांक 23 मार्च, 2013 से निम्न भागीदार स्वेच्छा एवं अज्य भागीदारों की सहमति से निवृत्त हो गये हैं - (1) अरविन्द गुप्ता, (2) अनुराग अस्थाना, (3) गौरव पवार और निवृत्त भागीदारों के फर्म से कोई लेन-देन नहीं रहेगा। फर्म के शेष पार्टनर यथावत फर्म में बने रहेंगे। उक्त फर्म का पता दिनांक 13 मार्च, 2013 से परिवर्तित होकर एम. आई. जी. 3/2/26 नेहरू नगर, रीवा (म. प्र.) हो गया है।

भवदीय,

सिद्धार्थ सिंह परिहार,

भागीदार मै. कॉमेट कन्सट्रक्सन,

नेहरू नगर, रीवा (म. प्र.).

(240-बी.)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री परिधि अग्रवाल का नाम परिवर्तन कर प्रसिद्धि अग्रवाल रख दिया है. अब भविष्य में इसी नाम से जाना जावे.

(237-बी.)

आशीष अग्रवाल (पिता),
91, इमली बाजार, इन्दौर (म.प्र.).

CHANGE IN NAME

I, RAJESH BHATT, here by declare that I have Change my name as ASHOK BHATT S/o PRAHLAD BHATT So, from now and in future I will be known by my new name.

Old Name :

(RAJESH BHATT)

New Name :

(ASHOK BHATT)

S/o PRAHLAD BHATT,
Add. Ganesh Mandir Campus,
71/1, Ganesh Puri Colony,
Khajrana, INDORE (M.P.).

(235-B.)

नाम परिवर्तन

मैं, देवेन्द्र कुमार ने अपना नाम परिवर्तन कर "देवेन्द्र कुमार खींची" कर लिया हैं. अब से मुझे इसी नाम से जाना जावें.

पुराना नाम :

(देवेन्द्र कुमार)

नया नाम :

(देवेन्द्र कुमार खींची)

535, अशोक नगर, एरोडूम रोड,
इन्दौर (म.प्र.).

(236-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं पूर्व में सैतानसिंह पिता दीतुसिंह बघेल, निवासी ग्राम हल्दी, तहसील कुक्षी, जिला धार के नाम से जाना जाता था. यही नाम मेरे समस्त शैक्षणिक रिकार्ड में भी दर्ज है, वर्तमान में मध्यप्रदेश पुलिस में सूबेदार के पद पर जिला खरगोन में पदस्थ हूँ. अब मुझे सैतानसिंह की जगह चेतनसिंह पिता दीतुसिंह बघेल के नाम से जाना एवं पहचाना जाए.

पुराना नाम :

(सैतानसिंह)

पिता दीतुसिंह बघेल,
ग्राम हल्दी, तहसील कुक्षी,
जिला-धार (म.प्र.).

नया नाम :

(चेतनसिंह)

पिता दीतुसिंह बघेल,
डी. आर. पी. लाईन,
जिला-खरगोन (म.प्र.).

(238-बी.)

नाम परिवर्तन

सूचित किया जाता है कि मेरे पूर्व दस्तावेजों में मेरा नाम जयप्रकाश नारायण त्रिपाठी पुत्र श्री मुन्नालाल त्रिपाठी, अंकित है. जबकि मैंने अपना नाम परिवर्तित कर जयप्रकाश त्रिपाठी पुत्र श्री एम. एल. त्रिपाठी लिखना आरंभ कर दिया है. अतः अब से मुझे मेरे, मेरी पत्नि, बच्चे एवं अन्य सभी जगह पर मेरे नये नाम जयप्रकाश त्रिपाठी के नाम से ही जाना एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(जयप्रकाश नारायण त्रिपाठी)

नया नाम :

(जयप्रकाश त्रिपाठी)

पुत्र श्री एम. एल. त्रिपाठी,
डी-4, तिलक नगर, ई-8 एक्स.,
गुलमोहर, भोपाल.

(239-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, संगीता गोसावी, जो कि बीएमएचआरसी भोपाल में पीए के पद पर कार्यरत हूँ का विवाह उपरान्त नाम श्रीमती संचिता दफतरी हो गया है. अतः अब भविष्य में मुझे श्रीमती संचिता दफतरी नाम से ही जाना एवं लिखा पढ़ा जावे.

पुराना नाम :
(संगीता गोसावी)

(241-बी.)

नया नाम :

(संचिता दफतरी)

निवासी-फ्लैट नं. S-1, गौरव,
ई-8/283, त्रिलोचन नगर, त्रिलंगा भोपाल.

नाम परिवर्तन

मेरा नाम आदिल लश्करी है किन्तु मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स में मेरा नाम आदिल ही लिखा है, जिसमें मैंने अपना उपनाम लगाकर आदिल लश्करी कर लिया है. अतः अब मुझे सभी जगह मेरे पूरे नाम आदिल लश्करी से लिखा पढ़ा जावे.

पुराना नाम :
(आदिल)
(ADIL)

(244-बी.)

नया नाम :

(आदिल लश्करी)

(ADIL LASHKARI)

197, सैफी नगर, इन्दौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम तारिक शेख (TARIQ SHEIKH) है जो मेरे किसी डॉक्यूमेंट में तारिक हमिद शेख कहीं पर एस एम तारिक हमिद एवं कहीं पर मोहम्मद तारिक शेख लिखा है, अतः अब से मेरे सभी डॉक्यूमेंट्स में मेरा सही और एक ही नाम तारिक शेख (TARIQ SHEIKH) ही लिखा और पढ़ा जावे.

गलत नाम :
(तारिक हमिद शेख उर्फ मोहम्मद तारिक शेख)
(TARIQ HAMID SEKH OR TARIK MOHAMMED SHEIKH)

(243-बी.)

सही नाम :

(तारिक शेख)

(TARIQ SHEIKH)

47, Sheetal Nagar,
Near Saket Nagar, INDORE (M.P.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को यह सूचित किया जाता है कि पहले मेरा नाम अक्षय गुप्ता पिता स्व. नागेश्वर जी गुप्ता था. अब मेरा नाम अक्षय सिंह मरकाम पिता स्व. नागेश्वर जी गुप्ता हो गया है. अब मुझे इसी नाम से जाना एवं पहचाना जाये.

पुराना नाम :
(अक्षय गुप्ता)

(227-बी.)

नया नाम :

(अक्षय सिंह मरकाम)

517-ए, सुदामा नगर, इन्दौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, विवाह पूर्व मेरा नाम कु. सीता पुत्री श्री परशुराम प्रजापति था. मेरा विवाह श्री अजय कुमार प्रजापति के साथ वर्ष 2008 में हो जाने के कारण अब मेरा नाम श्रीमती सीता देवी पत्नी श्री अजय कुमार प्रजापति हो गया है. अतः भविष्य में मुझे श्रीमती सीता देवी पत्नी श्री अजय कुमार प्रजापति के नाम से जाना एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम :
(कु. सीता)

पिता- श्री परशुराम प्रजापति

(228-बी.)

नया नाम :

(सीता देवी)

पत्नी- श्री अजय कुमार प्रजापति,

पता-चौड़े के हनुमान नगर, ग्वालियर-3 (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम रघुवीर जाटव पुत्र श्री हीरालाल जाटव था. अब मैंने अपना नाम परिवर्तित कर रघुवीर सिंह राणा रख लिया है. अब मुझे भविष्य में मेरे नये नाम रघुवीर सिंह राणा के नाम से जाना एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम :
(रघुवीर जाटव)

(229-बी.)

नया नाम :

(रघुवीर सिंह राणा)

ग्राम किलोरच तहसील व जिला श्योपुर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि अभी तक मेरा नाम भैयाजी पटेल, आत्मज श्री प्रेमलाल पटेल, निवासी ग्राम अमाड़ा, तहसील गाडरवारा, हाल निवासी राजेन्द्र वार्ड, करेली, जिला नरसिंहपुर पढ़ा-लिखा जाना जाता है. आज दिनांक के बाद से मुझे युवराज वर्मा, आत्मज श्री प्रेमलाल पटेल के नाम से पढ़ा लिखा एवं जाना जाए.

पुराना नाम :
(भैयाजी पटेल)

(230-बी.)

नया नाम :

(युवराज वर्मा)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम संजीव इन्द्र सिंह भंडारी अंकित है. अब मैंने अपना नाम संजीव भंडारी परिवर्तित कर लिया है. अतः भविष्य में मुझे संजीव भंडारी के नाम से ही जाना-पहचाना जावे.

पुराना नाम :
(संजीव इन्द्र सिंह भंडारी)

(231-बी.)

नया नाम :

(संजीव भंडारी)

पुत्र-श्री सत्यपाल भंडारी,
मकान नम्बर-355, जीवाजी नगर,
थाटीपुर, ग्वालियर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मेरा पूर्व नाम SHAILESH JECAB था, जो अब बदलकर अपना नया नाम SHAILESH JACOB हो गया है, अतः अब मुझे इसी नाम से जाना एवं पहचाना जाये.

पुराना नाम :
(SHAILESH JECAB)

(233-बी.)

नया नाम :

(SHAILESH JACOB)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम पूर्व में "दीपम जैन" था. परंतु अब मैं "नील जैन" के नाम से जाना, पहचाना जाता हूँ. साथ ही समस्त व्यवहार भविष्य में नील जैन के नाम से ही किया जावेगा.

पुराना नाम :
(दीपम जैन)

(234-बी.)

नया नाम :

(नील जैन)

1543, स्कीम नं. 114 पार्ट-1,
मारथोमा स्कूल के पास,
इंदौर, (म.प्र.).

विविध

निविदा सूचनाएं

भोपाल, दिनांक 24 जुलाई, 2013

अल्प अवधि निविदा सूचना

क्र.जी.बी. चार/मशी. (3) 2013-14/2583.—निर्माता या उनके अधिकृत एजेंट/डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर्स से मुहरबंद तकनीकी एवं कॉमर्शियल निविदाएं हार्डकापी (पृथक्-पृथक् लिफाफों में) एवं ऑनलाईन निविदा, केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल एवं शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर, इन्दौर एवं रीवा हेतु सिंगल कलर शीट फेड ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन, फोर कलर शीटफेड ऑफसेट मशीन, फोर कलर वेब ऑफसेट मशीन विथ फोल्डर एवं शीटर, वेब ऑफसेट मशीन, परफेक्ट बाईण्डर एवं गेदरिंग मशीन एवं अन्य सहायक उपकरण के साथ के लिये आमंत्रित की जाती है।

2. टेण्डर फॉर्म, शर्तें एवं निविदा के अनुबंध का प्रारूप वेबसाईट www.tenders.gov.in, www.govtpressmp.nic.in पर रखा गया है एवं ऑनलाईन निविदा <https://mpeprocurement.com> पर रखा गया है।

3. टेण्डर फॉर्म की हार्डकापी अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय दिनांक 19 अगस्त, 2013 को कार्यालयीन समय अपराह्न 1.00 बजे तक आवश्यक पूर्तियां की जाकर प्रस्तुत की जानी होगी। निविदा की टेक्निकल टेण्डर उसी दिनांक को अर्थात् दिनांक 19 अगस्त, 2013 को अपराह्न 3.00 बजे ऑनलाईन टेण्डर स्वेच्चा से उपस्थित निविदाकारों/उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जावेगी।

(1-2)

(390)

Bhopal, dated 24th July, 2013

SHORT TENDER NOTICE

No. GB-IV/Machinery/ (3)/ 2013-14/2583.—ONLINE and Sealed Technical & Commercial (seperately) tenders are invited from the manufacturers or their Agents/Authorised Dealers for the supply of **Sheet Fed Offset printing Machine Single Colour, Four Colour Sheetfed Offset Machine, Web Offset Printing Machine Four Colour Perefector Unit with Folder and Sheeter, Web Offset Printing Machine with web width 610 M.M. (Max) and cut of Size 430 M.M., Multi Colour Perfect Binder with 6 Book Clamps, Gathering Machine with 12 stations & Double Head Stitching and All Accessories for the Govt. Central Press, Bhopal, Govt. Regional Press, Gwalior, Indore and Rewa.**

2. Tender Document and agreement details of tender are available at website www.tenders.gov.in, www.govtpressmp.nic.in and for Online Bidding go through <https://mpeprocurement.com>.

3. In all respects complete tender document must received at the office of undersigned latest by 13.00 hours on **19th August, 2013** and the Envelope 'A' of technical tender of Hard Copy and Envelope 'B' of Commercial Tender of Hard Copy and other Key Dates are mentioned as per Key Dates List.

AJIT KESARI,

Controller,

Govt. Printing and Stationery,
Madhya Pradesh, Bhopal.

(1-2)

(390-A)

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, खण्डवा

प्र. क्र. 10/बी-113(1)/2012-13.

दिनांक 01 जुलाई, 2013 को जारी

प्रारूप-चार

[मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2) एवं मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास नियम 1962, के नियम 5 (1), के अन्तर्गत]

जैसा कि श्री सुनिल कुमार बिरदीचंद जैन निवासी खण्डवा ने अनुसूची में दर्शित न्यास/सम्पत्ति को सार्वजनिक न्यास के रूप में पंजीयन करने हेतु मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951, की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है। एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त आवेदन-पत्र पर मेरे द्वारा न्यायालय में दिनांक 07 अगस्त, 2013 को विचार किया जायेगा।

2. उक्त ट्रस्ट के कार्य अथवा सम्पत्ति से कोई व्यक्ति यदि हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशन होने के एक माह के भीतर लिखित विवरण दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है और वह स्वयं अथवा अधिवक्ता/अभिकर्ता के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित हो सकता है। समयावधि के समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा।

अनुसूची

सार्वजनिक न्यास का नाम	..	श्री दिगम्बर जैन 1008 भगवान आदिनाथ अतिशय क्षेत्र दयोदय अहिंसा तीर्थ ट्रस्ट,
एवं पता	..	बोरगावखुर्द, तहसील खण्डवा, जिला खण्डवा.
चल सम्पत्ति	..	रुपये 51,000/- नगद.
अचल सम्पत्ति	..	निरंक.

हरिसिंह चौधरी,

अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

(372)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, उत्पादन वनमण्डल, खण्डवा

खण्डवा, दिनांक 06 जुलाई, 2013

आ.क्र./स्टोर/394.—सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि वनमण्डल अंतर्गत वन परिक्षेत्र अधिकारी, आंवलिया परिक्षेत्र (उत्पादन) द्वारा आंवलिया परिक्षेत्र (उ.) के कूप क्रमांक X आंवलिया के विदोहन वर्ष 2012-13 में निरमित कूपों में विदोहन कार्य उपयोग हेतु कूप प्रभारी श्री अशोक कास्टे, वनरक्षक को फेसिंग हेमर क्र./ एन. के. 322 प्रदाय किया गया था। वन परिक्षेत्र अधिकारी आंवलिया (उ.) परिक्षेत्र द्वारा उनके पत्र क्र. 319, दिनांक 26 मई, 2013 द्वारा उक्त फेसिंग हेमर खो जाने की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई एवं लेख किया है कि श्री कास्टे वनरक्षक को लापरवाही से उक्त फेसिंग हेमर गुम हो गया। उक्त हेमर का अभी तक कोई पता नहीं लग पाया है। श्री अशोक कास्टे, वनरक्षक द्वारा पुलिस चौकी रोश्नों में हेमर गुम होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है।

हेमर आकृति



अतः वन वित्तीय नियम की धारा-124 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए फेसिंग हेमर क्रमांक 322 वनमण्डल के स्टॉक से अपलेखित किया जाता है। इस विज्ञप्ति के प्रकाशन के फलस्वरूप किसी भी व्यक्ति गुमशुदा हेमर को अनाधिकृत रूप से रखने तथा उपयोग करते पाया तो उसके विरुद्ध वन वित्तीय नियम, 1927 की धारा-63 के अंतर्गत अभियोग चलाया जावेगा तथा दण्ड का भागी होगा। यदि उक्त हेमर किसी व्यक्ति को मिले तो वह पुलिस थाने में अथवा नजदीक के वन कार्यालय में जमा करें अथवा सूचना दें।

गुमशुदा हेमर का मूल्य 300/- की वसूली हेतु एवं हेमर के रखरखाव में लापरवाही बरतने तथा हेमर गुमाने के लिये श्री अशोक कास्टे, वनरक्षक का उत्तरदायित्व निर्धारण करते हुए वनरक्षक को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया है। प्रति उत्तर प्राप्त होने पर पृथक् से कार्यवाही की जावेगी।

अशोक कुमार बंसल,

वनमण्डलाधिकारी.

(373)

कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला श्योपुर

श्योपुर, दिनांक 05 मार्च, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/1338.—इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./2011/4217, दिनांक 22 जुलाई, 2011 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जावदेश्वर, जिला श्योपुर जिसका पंजीयन क्र. ए.आर./एम.एन.ए./983, दिनांक 06 अप्रैल, 1989 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री लोकेश शर्मा, व.स.नि. कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था। परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था की देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला श्योपुर से कराए जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के पश्चात् संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, सी. के. वर्मा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जावदेश्वर, जिला श्योपुर, जिसका पंजीयन क्र. ए.आर./एम.एन.ए./983, दिनांक 06 अप्रैल, 1989 है का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी।

यह आदेश आज दिनांक 5 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(374)

श्योपुर, दिनांक 05 मार्च, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/1339.—इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./2011/4217, दिनांक 22 जुलाई, 2011 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., दौतरदा, जिला श्योपुर जिसका पंजीयन क्र. ए.आर./एम.एन.ए./663, दिनांक 20 मार्च, 1987 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री लोकेश शर्मा, व.स.नि. कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था की देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला श्योपुर से कराए जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के पश्चात् संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, सी. के. वर्मा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., दौतरदा, जिला श्योपुर जिसका पंजीयन क्र. ए.आर./एम.एन.ए./663, दिनांक 20 मार्च, 1987 है का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी।

यह आदेश आज दिनांक 5 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(374-A)

श्योपुर, दिनांक 05 मार्च, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/1340.—इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./2011/4217, दिनांक 22 जुलाई, 2011 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जैनी, जिला श्योपुर जिसका पंजीयन क्र. ए.आर./एम.एन.ए./1010, दिनांक 31 मार्च, 1995 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री लोकेश शर्मा, व.स.नि. कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था की देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला श्योपुर से कराए जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के पश्चात् संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, सी. के. वर्मा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जैनी, जिला श्योपुर जिसका पंजीयन क्र. ए.आर./एम.एन.ए./1010, दिनांक 31 मार्च, 1995 है का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी।

यह आदेश आज दिनांक 5 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(374-B)

श्योपुर, दिनांक 05 मार्च, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/1341.—इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./2011/4217, दिनांक 22 जुलाई, 2011 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मानपुर, जिला श्योपुर जिसका पंजीयन क्र. ए.आर./एम.एन.ए./604, दिनांक 20 मार्च, 1987 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री लोकेश शर्मा, व.स.नि. कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था की देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला श्योपुर से कराए जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के पश्चात् संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, सी. के. वर्मा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मानपुर, जिला श्योपुर जिसका पंजीयन क्र. ए.आर./एम.एन.ए./604, दिनांक 20 मार्च, 1987 है का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 5 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(374-C)

श्योपुर, दिनांक 30 मार्च, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/1342.—इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./2011/4217, दिनांक 22 जुलाई, 2011 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गुरूनावदा, जिला श्योपुर जिसका पंजीयन क्र. ए.आर./एम.एन.ए./1008, दिनांक 31 मार्च, 1995 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री लोकेश शर्मा, व.स.नि. कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था की देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला श्योपुर से कराए जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के पश्चात् संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, सी. के. वर्मा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गुरूनावदा, जिला श्योपुर जिसका पंजीयन क्र. ए.आर./एम.एन.ए./1008, दिनांक 31 मार्च, 1995 है का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 5 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(374-D)

श्योपुर, दिनांक 05 मार्च, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/1343.—इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./2011/4217, दिनांक 22 जुलाई, 2011 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सोंठवा, जिला श्योपुर जिसका पंजीयन क्र. ए.आर./एम.एन.ए./728, दिनांक 11 मार्च, 1998 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री लोकेश शर्मा, व.स.नि. कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था की देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण),

सहकारिता, जिला श्योपुर से कराए जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के पश्चात् संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, सी. के. वर्मा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या, सोंठवा, जिला श्योपुर जिसका पंजीयन क्र. ए.आर./एम.एन.ए./728, दिनांक 11 मार्च, 1998 है, का पंजीयन निरस्त करता हूँ, संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी।

यह आदेश आज दिनांक 5 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(374-E)

श्योपुर, दिनांक 30 मार्च, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/1398.—इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./2011/4555, दिनांक 04 अक्टूबर, 2011 से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, आमेट, जिला श्योपुर जिसका पंजीयन क्र. ए.आर./एस.पी.आर./105, दिनांक 02 मार्च, 2009 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एल. सगर, उप-अंकेक्षक, कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था की देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला श्योपुर से कराए जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के पश्चात् संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, सी. के. वर्मा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, आमेट, जिला श्योपुर जिसका पंजीयन क्र. ए.आर./एस.पी.आर./105, दिनांक 02 मार्च, 2009 है, का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी।

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(374-F)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./2011/4579, दिनांक 04 अक्टूबर, 2011 से ठाकुरदास महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था अरौंदरी, जिला श्योपुर जिसका पंजीयन क्र. ए.आर./एस.पी.आर./52, दिनांक 07 जुलाई, 2004 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एल. सगर, उप-अंकेक्षक, कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था की देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला श्योपुर से कराए जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के पश्चात् संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, सी. के. वर्मा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत ठाकुरदास महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था अरौंदरी, जिला श्योपुर जिसका पंजीयन क्र. ए.आर./एस.पी.आर./52, दिनांक 07 जुलाई, 2004 है, का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी।

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(374-G)

श्योपुर, दिनांक 30 मार्च, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./2011/4562, दिनांक 04 अक्टूबर, 2011 से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., हासिलपुर, जिला श्योपुर जिसका पंजीयन क्र. ए.आर./एस.पी.आर./103, दिनांक 12 फरवरी, 2009 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एल. सगर, उप-अंकेक्षक, कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था की देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला श्योपुर से कराए जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के पश्चात् संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, सी. के. वर्मा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., हासिलपुर, जिला श्योपुर जिसका पंजीयन क्र. ए.आर./एस.पी.आर./103, दिनांक 12 फरवरी, 2009 है, का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(374-H)

श्योपुर, दिनांक 30 मार्च, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./2011/4555, दिनांक 04 अक्टूबर, 2011 से जयगोविंद महिला बहुउद्देशीय सह. संस्था ढोढर, जिला श्योपुर जिसका पंजीयन क्र. ए.आर./एस.पी.आर./33, दिनांक 06 जनवरी, 2004 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एल. सगर, उप-अंकेक्षक कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था की देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला श्योपुर से कराए जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के पश्चात् संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, सी. के. वर्मा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत जयगोविंद महिला बहुउद्देशीय सह. संस्था, ढोढर, जिला श्योपुर जिसका पंजीयन क्र. ए.आर./एस.पी.आर./33, दिनांक 06 जनवरी, 2004 है, का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(374-I)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./2011/4567, दिनांक 04 अक्टूबर, 2011 से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., फुल्दा, जिला श्योपुर जिसका पंजीयन क्र. ए.आर./एस.पी.आर./100, दिनांक 12 फरवरी, 2009 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एल. सगर, उप-अंकेक्षक कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था की देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला श्योपुर से कराए जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के पश्चात् संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, सी. के. वर्मा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., फुल्दा, जिला श्योपुर जिसका पंजीयन क्र. ए.आर./एस.पी.आर./100, दिनांक 12 फरवरी, 2009 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(374-J)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./2011/4566, दिनांक 04 अक्टूबर, 2011 से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., तलावड़ा, जिला श्योपुर जिसका पंजीयन क्र. ए.आर./एस.पी.आर./85, दिनांक 27 मार्च, 2008 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एल. सगर, उप-अंकेक्षक, कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था की देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला श्योपुर से कराए जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के पश्चात् संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, सी. के. वर्मा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., तलावड़ा, जिला श्योपुर जिसका पंजीयन क्र. ए.आर./एस.पी.आर./85, दिनांक 27 मार्च, 2008 है, का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(374-K)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./2011/4570, दिनांक 04 अक्टूबर, 2011 से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पीतना खेडली, जिला श्योपुर जिसका पंजीयन क्र. ए.आर./एस.पी.आर./87, दिनांक 31 मार्च, 2008 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री गोपाल माहेश्वरी, उप-अंकेक्षक, कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था की देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला श्योपुर से कराए जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के पश्चात् संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, सी. के. वर्मा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पीतना खेडली, जिला श्योपुर जिसका पंजीयन क्र. ए.आर./एस.पी.आर./87, दिनांक 31 मार्च, 2008 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(374-L)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./2011/4257, दिनांक 22 जुलाई, 2011 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., विजरपुर, जिला श्योपुर जिसका पंजीयन क्र. ए.आर./एम.ए.ए./873, दिनांक 01 अप्रैल, 1989 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री गोपाल माहेश्वरी, उप-अंकेक्षक, कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था की देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण),

सहकारिता, जिला श्योपुर से कराए जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के पश्चात् संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, सी. के. वर्मा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., विजरपुर, जिला श्योपुर जिसका पंजीयन क्र. ए.आर./एम.एन.ए./873, दिनांक 01 अप्रैल, 1989 है, का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(374-M)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./2011/4575, दिनांक 04 अक्टूबर, 2011 से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ददूनी, जिला श्योपुर जिसका पंजीयन क्र. ए.आर./एस.पी.आर./94, दिनांक 31 जनवरी, 2008 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री गोपाल माहेश्वरी, उप-अंकेक्षक, कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था की देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला श्योपुर से कराए जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के पश्चात् संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, सी. के. वर्मा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ददूनी, जिला श्योपुर जिसका पंजीयन क्र. ए.आर./एस.पी.आर./94, दिनांक 31 जनवरी, 2008 है, का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(374-N)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./2011/4573, दिनांक 04 अक्टूबर, 2011 से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पानड़ी, जिला श्योपुर जिसका पंजीयन क्र. ए.आर./एस.पी.आर./81, दिनांक 27 मार्च, 2008 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री गोपाल माहेश्वरी, उप-अंकेक्षक, कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था की देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला श्योपुर से कराए जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के पश्चात् संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, सी. के. वर्मा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पानड़ी, जिला श्योपुर जिसका पंजीयन क्र. ए.आर./एस.पी.आर./81, दिनांक 27 मार्च, 2008 है, का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(374-O)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./2011/4577, दिनांक 04 अक्टूबर, 2011 से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., शंकरपुर, जिला श्योपुर जिसका पंजीयन क्र. ए.आर./एस.पी.आर./97, दिनांक 12 फरवरी, 2009 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री गोपाल माहेश्वरी, उप-अंकेक्षक, कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था की देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला श्योपुर से कराए जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के पश्चात् संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, सी. के. वर्मा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., शंकरपुर, जिला श्योपुर जिसका पंजीयन क्र. ए.आर./एस.पी.आर./97, दिनांक 12 फरवरी, 2009 है, का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(374-P)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./2011/4572, दिनांक 04 अक्टूबर, 2011 से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., आसीदा जिला श्योपुर जिसका पंजीयन क्र. ए.आर./एस.पी.आर./86, दिनांक 31 मार्च, 2008 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री गोपाल माहेश्वरी, उप-अंकेक्षक, कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था की देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला श्योपुर से कराए जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के पश्चात् संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, सी. के. वर्मा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., आसीदा जिला श्योपुर जिसका पंजीयन क्र. ए.आर./एस.पी.आर./86, दिनांक 31 मार्च, 2008 है, का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(374-Q)

सी. के. वर्मा,
सहायक पंजीयक.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 31]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 02 अगस्त 2013-श्रावण 11, शके 1935

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 17 अप्रैल, 2013

1. **मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में इस सप्ताह मौसम शुष्क रहा है तथा राज्य के अनूपपुर, उमरिया, सीधी, बैतूल, मण्डला को छोड़कर किसी भी जिले में वर्षा का होना नहीं पाया गया है:-

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.—तहसील जैतहरी, अनूपपुर (अनूपपुर), बांधवगढ़ (उमरिया), गोपदवनास, मझौली, कुसमी, चुरहट, रामपुरनैकिन (सीधी), भैंसदेही (बैतूल), बिछिया, मण्डला (मण्डला) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. **जुताई.**—जिला श्योपुर, भोपाल में जुताई व बैतूल में गन्ना की रोपाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. **बोनी.**—जिला पन्ना, खरगौन में बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

4. **फसल स्थिति.**—

5. **कटाई.**—जिला टीकमगढ़, सिंगरौली, नीमच, अलीराजपुर, बैतूल व होशंगाबाद में फसल गोहूँ व इन्दौर में गोहूँ, चना व डिण्डोरी में मसूर, मटर, अलसी, चना एवं गोहूँ व कटनी में गोहूँ एवं अन्य फसल व विदिशा, हरदा, मण्डला, सिवनी में रबी फसलों की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

6. **सिंचाई.**—जिला ग्वालियर, छतरपुर, सागर, शहडोल, उमरिया, राजगढ़, भोपाल, बड़वानी में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. **पशुओं की स्थिति.**—राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. **चारा.**—राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. **बीज.**—राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. **खेतिहर श्रमिक.**—राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, समाह्रांत बुधवार, दिनांक 17 अप्रैल, 2013

जिला/तहसीलें	1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि. मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) गेहूँ, चना, बाजरा, मक्का, तिल समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. . . 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . . 8. पर्याप्त.
1. अम्बाह 2. पोरसा 3. मुरैना 4. जौरा 5. सबलगाढ़ 6. कैलारस				
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) गेहूँ, जौ, चना, अलसी, तुअर समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर 2. कराहल 3. विजयपुर				
जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) गेहूँ, चना सुधरी हुई. (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अटेर 2. भिण्ड 3. गोहद 4. मेहगांव 5. लहार 6. मिहोना 7. रौन				
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गन्ना, उड़ुद अधिक. मूँगफली, तिली, मूँगमोठ, तुअर कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . . 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर 2. डबरा 3. भितरवार 4. घाटीगांव				
जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, जौ, चना, राई-सरसों, अलसी, मसूर, मटर, गन्ना सुधरी हुई. (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सेवड़ा 2. दतिया 3. भाण्डेर				
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) गन्ना, मूँगफली अधिक. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. शिवपुरी 2. पिछोर 3. खनियाधाना 4. नरवर 5. करैरा 6. कोलारस 7. पोहरी 8. बदरवास				

1	2	3	4	5	6
जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. मुंगावली	..		4. (1) चना, गेहूँ, उड़द, मक्का गन्ना समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. अशोकनगर	..				
4. चन्देरी	..				
5. शादौरा	..				
*जिला गुना :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. गुना	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. राघोगढ़	..		(2) ..		
3. बमोरी	..				
4. आरोन	..				
5. चाचौड़ा	..				
6. कुम्भराज	..				
जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. गेहूँ की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	..		4. (1) गन्ना, गेहूँ समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. जतारा	..				
4. टीकमगढ़	..				
5. बल्देवगढ़	..				
6. पलेरा	..				
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लौण्डी	..		4. (1) चना, जवा अधिक. गेहूँ कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. नौगांव	..				
4. छतरपुर	..				
5. राजनगर	..				
6. बिजावर	..				
जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. ..
1. अजयगढ़	..		4. (1) मसूर, मटर, आलू, प्याज अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	..		तुअर, उड़द, मूँग, तिल, गेहूँ, चना,	चारा पर्याप्त.	
3. गुन्नौर	..		जौ, राई-सरसों, अलसी कम.		
4. पवई	..		(2) ..		
5. शाहनगर	..				
जिला सागर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	..		4. (1) गेहूँ, चना, जौ, राई-सरसों, मसूर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खुरई	..		तिवड़ा, अलसी, मटर, मसूर,	चारा पर्याप्त.	
3. बण्डा	..		आलू, प्याज समान.		
4. सागर	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
5. रेहली	..				
6. देवरी	..				
7. गढ़ाकोटा	..				
8. राहतगढ़	..				
9. केसली	..				
10. मालथोन	..				
11. शाहगढ़	..				

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	..		4. (1) गेहूँ, मटर, मसूर, चना, अलसी,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	..		राई-सरसों समान.	चारा पर्याप्त.	
3. दमोह	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. पथरिया	..				
5. जवेरा	..				
6. तेन्दूखेड़ा	..				
7. पटेरा	..				
*जिला सतना :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. रघुराजनगर	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. मझगवां	..		(2) ..		
3. रामपुर-बघेलान	..				
4. नागौद	..				
5. उचेहरा	..				
6. अमरपाटन	..				
7. रामनगर	..				
8. मैहर	..				
जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. त्योंथर	..		4. (1) अरहर कम. गेहूँ, चना, अलसी, जौ,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरमौर	..		मसूर, राई-सरसों समान.	चारा पर्याप्त.	
3. मऊगंज	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. हनुमना	..				
5. हजूर	..				
6. गुढ़	..				
7. रायपुरकर्चुलिया	..				
जिला शहडोल :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	..		4. (1) तुअर, राई-सरसों, अलसी, चना, गेहूँ,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ब्यौहारी	..		मटर, मसूर कम.	चारा पर्याप्त.	
3. जैसिंहनगर	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. जैतपुर	..				
5. गोहपारू	..				
6. बुढ़ार	..				
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	4.6		4. (1) राई-सरसों, गेहूँ, चना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	8.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. कोतमा	..				
4. पुष्पराजगढ़	..				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. ..
1. बांधवगढ़	0.5		4. (1) गेहूँ, अलसी अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाली	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. मानपुर	..				

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. गोपदवनास	3.0		4. (1) गेहूँ, जौ समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिहावल	. .				
3. मझौली	7.0				
4. कुसमी	4.0				
5. चुरहट	3.0				
6. रामपुरनैकिन	2.1				
जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. गेहूँ की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. चितरंगी	. .		4. (1) गेहूँ अधिक. (2) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. देवसर	. .				
3. सिंगरौली	. .				
जिला मन्दासौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सुवासरा-टप्पा	. .		4. (1) गेहूँ रायड़ा अधिक. चना कम. (2) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	. .				
3. मल्हारगढ़	. .				
4. गरोठ	. .				
5. मन्दासौर	. .				
6. सीतामऊ	. .				
7. धुन्धडका	. .				
8. शामगढ़	. .				
9. संजीत	. .				
जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. गेहूँ की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	. .		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, मटर, मसूर, अधिक. (2) उपरोक्त फसलें समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. नीमच	. .				
3. मनासा	. .				
*जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. जावरा	. .		4. (1) . . (2) . .	6. . .	8. . .
2. आलोट	. .				
3. सैलाना	. .				
4. बाजना	. .				
5. पिपलौदा	. .				
6. रतलाम	. .				
जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	. .		4. (1) गेहूँ अधिक. चना कम. (2) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	. .				
3. तराना	. .				
4. घटिया	. .				
5. उज्जैन	. .				
6. बड़नगर	. .				
7. नागदा	. .				
जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मो. बड़ोदिया	. .		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	. .				
3. नलखेड़ा	. .				
4. आगर	. .				
5. बड़ौद	. .				
6. शाजापुर	. .				
7. शुजालपुर	. .				
8. कालापीपल	. .				
9. गुलाना	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला देवास :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, अलसी मसूर, जौ अधिक. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ 2. टोंकखुर्द 3. देवास 4. बागली 5. कन्नौद 6. खातेगांव				
जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ अधिक. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. थांदला 2. मेघनगर 3. पेटलावद 4. झाबुआ 5. राणापुर				
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. गेहूँ की कटाई का कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) गेहूँ अधिक. (2) सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, . .	7. . . 8. पर्याप्त.
1. जोवट 2. अलीराजपुर 3. भामरा 4. चन्द्रशेखर आजाद नगर 5. सोण्डवा				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) चना अधिक. गेहूँ, गन्ना कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बदनावर 2. सरदारपुर 3. धार 4. कुक्षी 5. मनावर 6. धरमपुरी 7. गंधवानी 8. डही				
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. गेहूँ, चना की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) . . (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. देपालपुर 2. सांवेर 3. इन्दौर 4. महू (डॉ. अम्बेडकरनगर)				
जिला प. निमाड़ :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) कपास, मूँगफली, तुअर, गेहूँ, चना, राई-सरसों, मटर, मसूर समान. (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बड़वाह 2. सनावद 3. महेश्वर 4. सेगांव 5. करही 6. खरगोन 7. गोगावां 8. कसरावद 9. मुल्ठान 10. भगवानपुरा 11. भीकनगांव 12. झिरन्या	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला बड़वानी:	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	..		4. (1) गन्ना अधिक. गेहूँ कम.	6. संतोषप्रद,	8. ..
2. ठीकरी	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. राजपुर	..				
4. सेंधवा	..				
5. पानसेमल	..				
6. पाटी	..				
7. निवाली	..				
8. अंजड़	..				
9. वरला	..				
जिला पूर्ण-निमाड़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	..		4. (1) गेहूँ चना समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पंधाना	..		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. हरसूद	..				
जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	..				
जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जीरापुर	..		4. (1) गेहूँ अधिक. गन्ना, चना कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिलचीपुर	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. राजगढ़	..				
4. ब्यावरा	..				
5. सारंगपुर	..				
6. नरसिंहगढ़	..				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. ..	7. ..
1. लटेरी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	..				
4. बासौदा	..				
5. नटेरन	..				
6. विदिशा	..				
7. ग्यारसपुर	..				
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	..		4. (1) गेहूँ, चना अधिक. मसूर, गन्ना कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. सीहोर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	..		(2)	
3. इछावर	..				
4. नसरुल्लागंज	..				
5. बुधनी	..				

1	2	3	4	5	6
*जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. रायसेन	..		4. (1) ..	6. . .	8. . .
2. गौरतगंज	..		(2) ..		
3. बेगमगंज	..				
4. गोहरगंज	..				
5. बरेली	..				
6. सिलवानी	..				
7. उदयपुरा	..				
जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. गन्ना की रोपाई एवं गेहूँ की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, चना, मटर अधिक. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. भैसदेही	1.2				
2. घोड़ाडोंगरी	..				
3. शाहपुर	..				
4. बैतूल	..				
5. मुलताई	..				
6. आमला	..				
जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. गेहूँ की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, मूँगमोठ अधिक. चना, मटर, मसूर कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	..				
2. होशंगाबाद	..				
3. बाबई	..				
4. इटारसी	..				
5. सोहागपुर	..				
6. पिपरिया	..				
7. वनखेड़ी	..				
8. पचमढ़ी	..				
जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हरदा	..				
2. खिड़किया	..				
3. टिमरनी	..				
*जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. सीहोरा	..		4. (1) ..	6. . .	8. . .
2. पाटन	..		(2) ..		
3. जबलपुर	..				
4. मझौली	..				
4. कुण्डम	..				
जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. गेहूँ एवं अन्य रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) चना, गेहूँ, मसूर, अलसी, राई-सस्सों, जौ, मटर. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. कटनी	..				
2. रीठी	..				
3. विजयराघवगढ़	..				
4. बहोरीबंद	..				
5. ढीमरखेड़ा	..				
6. बरही	..				

1	2	3	4	5	6
*जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. गाडरवारा	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. करेली	..		(2) ..		
3. नरसिंहपुर	..				
4. गोटेगांव	..				
5. तेन्दूखेड़ा	..				
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. कटाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	..		4. (1) गेहूँ, चना, मटर, मसूर, राई, अलसी,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	6.0		जौ समान.	चारा पर्याप्त.	
3. नैनपुर	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. मण्डला	6.6				
5. घुघरी	..				
6. नारायणगंज	..				
जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. मटर, मसूर, अलसी,	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. ..
1. डिण्डोरी	..	चना एवं गेहूँ की फसलों	4. (1) गेहूँ, चना, मसूर, अलसी, मटर समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. शाहपुरा	..	की कटाई का कार्य चालू है.	(2) ..	चारा पर्याप्त.	
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. परासिया	..				
4. जामई (तामिया)	..				
5. सोंसर	..				
6. पांडुर्णा	..				
7. अमरवाड़ा	..				
8. चौरई	..				
9. बिछुआ	..				
10. हरई	..				
11. मोहखेड़ा	..				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. रबी फसल की कटाई	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	..	कार्य चालू है.	4. (1) गेहूँ, चना, मटर, राई-सरसों अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	..		मसूर, लाख, तिवड़ा, अलसी कम.	चारा पर्याप्त.	
3. लखनादौन	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. बरघाट	..				
5. कुरई	..				
6. घंसौर	..				
7. घनोरा	..				
8. छपारा	..				
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	..		4. (1) गेहूँ, चना, उड़द, अलसी, राई-	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	..		सरसों, मटर समान.	चारा पर्याप्त.	
3. बैहर	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. वारासिवनी	..				
5. कटंगी	..				
6. किरनापुर	..				

टीप.— *जिला गुना, सतना, रतलाम, रायसेन, जबलपुर व नरसिंहपुर से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,

आयुक्त,

भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(371)